एग्री मैगज़ीन
(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 09 (सितम्बर, 2026)
www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एस. एन.: 3048-8656

भारत में फूलों की व्यावसायिक खेती: सरकारी योजनाएं, सब्सिडी और कमाई के अवसर

*विकास यादव, रूपाली शर्मा एवं संदीप भारद्वाज
चौ. चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा, भारत
*संवादी लेखक का ईमेल पता: vikasydv100@gmail.com

भारत में फूलों की खेती अब सिर्फ पूजा-पाठ या सजावट तक सीमित नहीं है, यह एक बढ़िया कमाई वाला जरिया बन चुकी है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 2.83 लाख हेक्टेयर जमीन पर फूल उगाए जा रहे हैं। हर साल लगभग 22.95 लाख टन खुले फूल और 8.33 लाख टन कट फ्लावर (डंठल वाले फूल) पैदा होते हैं। भारत से विदेशों में करीब ₹707 करोड़ के फूल बेचे जाते हैं। इनमें अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े देश शामिल हैं। अगर गेहूं या धान जैसी पारंपरिक फसलों से तुलना करें, तो फूलों में प्रति एकड़ मुनाफा काफी ज्यादा मिलता है। लेकिन इसमें शुरुआत का खर्च ज्यादा आता है, फूल जल्दी खराब होते हैं और बाजार की मांग के हिसाब से क्वालिटी बनाए रखना पड़ता है। इसी खर्च और जोखिम को कम करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिनमें पॉलीहाउस बनाने से लेकर मशीन खरीदने, कोल्ड स्टोरेज और विदेश में सामान भेजने तक पर मदद मिलती है।

शेड-नेट और पॉलीहाउस पर सब्सिडी

गुलाब, जरबेरा, कार्नेशन और ग्लेडियोलस जैसे महंगे फूलों को खराब मौसम, तेज धूप और कीटों से बचाना जरूरी होता है। इसके लिए पॉलीहाउस या शेड-नेट बनाना पड़ता है।

- **एमआईडीएच (MIDH) योजना:** अगर आप लोहे के पाइप वाला पॉलीहाउस या शेड-नेट हाउस बनाते हैं, तो सरकार 50% सब्सिडी देती है। इसकी लागत का हिसाब ₹935 से ₹1,060 प्रति वर्ग मीटर के मानक से लगाया जाता है।
- **पौधों के लिए मदद:** डंठल वाले कट फ्लावर की खेती पर ₹50,000 प्रति हेक्टेयर तक (50% मदद) मिलती है। गेंदा या ग्लेडियोलस जैसे खुले फूलों के लिए ₹16,000 प्रति हेक्टेयर तक (40% मदद) दी जाती है।
- **हरियाणा मॉडल (राज्य की तरफ से अलग मदद):** कई राज्य अपनी तरफ से भी पैसे जोड़ते हैं। जैसे हरियाणा में केंद्र की 50% सब्सिडी के ऊपर राज्य सरकार अलग से टॉप-अप सब्सिडी देती है, जिससे कुल सब्सिडी 65% से 85% तक पहुंच जाती है।
- **सीमा शुल्क एवं उपकरण छूट:** संरक्षित खेती (Protected Cultivation) के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष पॉलीथिन, ग्रीनहाउस स्ट्रक्चर और आयातित उपकरणों पर सरकार कस्टम ड्यूटी और कृषि योजनाओं के तहत वित्तीय छूट प्रदान करती है।

बिना बीमारी वाले पौधे और बढ़िया बीज

फूलों की लंबाई, पंखुड़ियों की चमक और अच्छी पैदावार इस बात पर निर्भर करती है कि पौधा कितना स्वस्थ है।

- **क्लीन प्लांट प्रोग्राम (CPP) एवं अनुसंधान संस्थान:** सरकार ने गुणवत्तापूर्ण और वायरस-मुक्त रोपण सामग्री तैयार करने के लिए ₹1,765.67 करोड़ के Clean Plant Programme को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, ICAR-DFR (पुणे) और ICAR-CITH (श्रीनगर) जैसे प्रमुख बागवानी अनुसंधान संस्थान किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले, रोगमुक्त पौधे और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनसे पैदावार 20% से 30% तक बढ़ जाती है और निर्यात योग्य गुणवत्ता बनती है।
- **सीएसआईआर (CSIR) फ्लोरीकल्चर मिशन:** इस मिशन के तहत किसानों को अच्छी किस्मों के पौधे मुफ्त बांटे जाते हैं। साथ ही "फ्रेशनेस कीपर पेपर" जैसी तकनीक दी जाती है, जिससे टूटने के बाद भी फूल कई दिनों तक ताजे रहते हैं।

नर्सरी और खेती के लिए मशीनें

मजदूरों पर निर्भरता कम करने और काम को आसान बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है।

- **एसएमएएम (SMAM) योजना:** गमलों में मिट्टी भरने वाली मशीन, पौधा लगाने वाली मशीन, स्प्रेयर और बचे हुए पौधों को काटने-छांटने वाली मशीनों पर 40% से 50% तक सब्सिडी मिलती है।
- **कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC):** अगर आप गांव में मशीनें किराए पर देने का केंद्र खोलते हैं, तो सरकार 80% तक आर्थिक मदद देती है।

पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल हॉर्टिकल्चर Board (NHB) की मदद

फूल टूटने के बाद बहुत जल्दी मुरझाते हैं। इसलिए उन्हें ठंडा रखना और सही से संभालना जरूरी है।

- **एनएचबी (NHB) की क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी:** यदि आप कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक ग्रीनहाउस या ग्रेडिंग यूनिट जैसा बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो NHB क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी योजना के तहत सामान्य क्षेत्रों में 35% और पहाड़ी/विशेष क्षेत्रों में 50% तक सब्सिडी प्रदान करता है। शेष राशि के लिए बैंक से टर्म लोन उपलब्ध होता है।
- **क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (CDP):** NHB कुछ खास इलाकों को चुनकर वहां पूरे बाजार का ढांचा तैयार करता है, ताकि फूल की छंटाई, कोल्ड स्टोर और बिक्री की सीधी व्यवस्था हो सके।
- **एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF):** कोल्ड स्टोरेज, पैक-हाउस, रीफर वैन (ठंडे ट्रक) या सोलर कोल्ड रूम बनाने के लिए बैंक से ₹2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। इस लोन पर 7 साल तक ब्याज में 3% की छूट (Interest Subvention) मिलती है।

एक्सपोर्ट और एपीडा (APEDA) की मदद

अगर आप विदेश में फूल बेचना चाहते हैं, तो यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों में अच्छे दाम मिलते हैं।

- **एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट (EOU):** गुरुग्राम, बेंगलुरु, होसुर और पुणे के पास ऐसे बड़े सेंटर हैं। सरकार ऐसी इकाइयों को अपना 50% सामान देश के अंदर बेचने की भी इजाजत देती है।
- **एपीडा (APEDA) योजना:** एपीडा पैकेजिंग तैयार करने के लिए 30% (अधिकतम ₹1 लाख) और प्री-कूलिंग/कोल्ड स्टोरेज के लिए 50% (अधिकतम ₹5 लाख) तक की मदद देता है। हवा के रास्ते फूल विदेश भेजने पर भाड़े में भी छूट मिलती है।
- **एयरपोर्ट सुविधा और नीलामी केंद्र:** दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों पर फूलों के लिए अलग से ठंडे गोदाम बने हैं। इसके अलावा बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई और नई दिल्ली में फूलों की नीलामी (ऑक्शन) के केंद्र भी हैं।

फूलों से नए उत्पाद और नए बिजनेस की शुरुआत

जो फूल बिक नहीं पाते या छोटे रह जाते हैं, उनसे इत्र, गुलाब जल, सूखे फूल और प्राकृतिक रंग बनाकर अच्छी कमाई की जा सकती है।

- **पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना (PMFME):** गुलाब जल निकालने, इत्र बनाने या सूखे फूलों का काम शुरू करने के लिए 35% सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) मिलती है।
- **आरकेवीवाई-रफ़्तार (RKVY-RAFTAAR) ग्रांट:** अगर आपके पास नर्सरी, हाइड्रोपोनिक्स या फूलों से जुड़ा कोई नया आइडिया (स्टार्टअप) है, तो शुरुआत में ₹5 लाख (Pre-incubation/Idea stage) और काम आगे बढ़ाने के लिए ₹25 लाख (Incubation stage) तक की सरकारी वित्तीय सहायता मिलती है।

ट्रेनिंग सेंटर और फसल का बीमा

- **मॉडल फ्लोरीकल्चर सेंटर:** हरियाणा के घरौंडा (करनाल) और पंचकुला में सरकार ने विशेष केंद्र बनाए हैं। यहाँ जाकर किसान खेती का सही तरीका सीख सकते हैं।
- **मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (MBBY):** ओले, बेमौसम बारिश या प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर हरियाणा सरकार की MBBY योजना के तहत मसालों, सब्जियों और फूलों की फसलों के लिए ₹30,000 प्रति एकड़ तक का बीमा कवर दिया जाता है (जबकि फलदार फसलों के लिए यह ₹40,000 प्रति एकड़ है)। इसके लिए किसान को मात्र ₹750 प्रति एकड़ (2.5%) का प्रीमियम देना होता है।

आवेदन कैसे करें?

1. अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी (DHO) या कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) जाकर पता करें कि अभी किस योजना का बजट उपलब्ध है।
2. पॉलीहाउस या शेड-नेट सब्सिडी के लिए HORTNET पोर्टल पर और लोन सब्सिडी के लिए AIF पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
3. बड़े प्रोजेक्ट जैसे कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग यूनिट या एक्सपोर्ट के लिए एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करवाएं।

निष्कर्ष

फूलों की खेती अब सिर्फ पारंपरिक काम नहीं रहा, बल्कि यह एक बढ़िया बिजनेस बन चुका है। सरकार पौध खरीदने से लेकर पॉलीहाउस बनाने, कोल्ड स्टोरेज और विदेश भेजने तक हर कदम पर मदद दे रही है। इन योजनाओं का सही फायदा उठाकर किसान अपनी लागत और जोखिम दोनों घटा सकते हैं।

किसान भाइयों के लिए जरूरी सलाह

कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने या सब्सिडी का फॉर्म भरने से पहले अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), कृषि विश्वविद्यालय या जिला उद्यान कार्यालय (DHO) में जाकर जरूर बात करें। अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी के नियम, बजट की स्थिति और आवेदन के तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं। वहां के अधिकारी आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से सही जानकारी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में पूरी मदद करेंगे।